झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका - **130/2022**

बसंत प्रसाद झा, उम्र लगभग 69 वर्ष, पिता स्वर्गीय राम प्रसाद झा, निवासी ग्राम + डाकघर - सनौर, थाना - बसतराई, जिला - गोड्डा, झारखंड । ..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य ।
2. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, डाकघर+थाना - धुर्वा, एवं जिला - रांची, झारखण्ड ।
3. आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका, डाकघर+थाना - दुमका, जिला - दुमका, झारखण्ड ।
4. उपायुक्त, गोड्डा, डाकघर+थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा, झारखण्ड ।
5. अपर समाहर्ता (अपर समाहर्ता) स्थापना, गोड्डा, डाकघर+थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा, झारखण्ड ।
6. अंचल अधिकारी गोड्डा, डाकघर+थाना - गोड्डा, जिला - गोड्डा, झारखण्ड । .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री पंकज कुमार चौधरी, एडवोकेट
प्रतिवादियों की ओर से : श्री अशोक कुमार यादव, एडवोकेट

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, हालांकि इसमें कई प्रार्थनाएं शामिल हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी सभी

प्रार्थनाओं को छोड़ देता है और अपनी प्रार्थना को केवल याचिकाकर्ता को द्वितीय ए.सी.पी देने के बाद उसकी पेंशन को संशोधित करने तक सीमित रखता है।

3. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान जवाबी हलफनामे के पृष्ठ 55 की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 31.08.2005 से द्वितीय ए.सी.पी. दिया जा चुका है, इसलिए जहां तक द्वितीय ए.सी.पी. दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता की पेंशन में संशोधन का प्रश्न है, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को दी गई द्वितीय ए.सी.पी पर विचार करने के पश्चात, इस निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर, 31.08.2005 से उसकी पेंशन को संशोधित करने का निर्देश दिया जाए।

5. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक, 17 फ़रवरी, 2024
Smita /AFR

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।